न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 100/05 (वाद)
GCMS No. : 2005/00003

अनवान

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।
1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री शम्भु पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री घनश्याम पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्रीमती मांगी बेवा रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4. श्रीमती गीता पत्नी राजु धोबी निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा।
5. श्रीमती भग्गी पत्नी रतन धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
6. श्री कालु पिता प्यारा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
7. श्री बालु पिता नाथू धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्री लालु पिता नाथू धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
9. श्री मोती पिता नाथू धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
10. श्री नारायणलाल पिता परथा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
11. श्री रामलाल पिता परथा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
12. श्री मथरा पिता परथा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
13. श्रीमती केशी पत्नी नाथू धोबी निवासी कांकरवा तहसील कपासन।
14. श्रीमती गुलाबी पत्नी मोहन धोबी निवासी उदाखेडा तहसील मावली।
15. श्रीमती लेहरी पत्नी गोदा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
16. श्रीमती गोपी पत्नी हिरा धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
17. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
18. श्रीमती लछमी पत्नी उदयलाल धोबी निवासी बानसेन तहसील भदेसर।
19. श्री रतनलाल पिता हिरालाल धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
20. श्रीमती लादू पत्नी कैलाश धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
21. श्रीमती देऊ पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
22. श्रीमती लीला पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
23. श्री रमेश पिता हिरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

24. श्रीमती बगदी पत्नी हिरालाल धोबी निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा।
25. श्रीमती बदामी पत्नी हिरा धोबी निवासी मोही जिला राजसमन्द।
26. श्रीमती गीता पत्नी रमेश धोबी निवासी राजनगर, नया बस स्टेण्ड के पास बाडी जिला राजसमन्द।
27. श्रीमती अणछी पुत्री हिरा धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
28. श्रीमती बसन्ती पत्नी माणक धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन।
29. श्री राजेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
30. श्री देवेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
31. श्रीमती लीला बेवा मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
32. श्रीमती सीमा पत्नी महावीर धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन।
33. श्रीमती रीना पत्नी लालू धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन।
34. श्री ईश्वरलाल पिता गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
35. श्रीमती इन्दिरा पत्नी बद्री धोबी निवासी राजनगर नया बस स्टेण्ड के पास बाडी जिला राजसमन्द।
36. श्रीमती वरदी बेवा गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली। तर्क किया।
37. श्री अनिल पिता रमेशचन्द्र बविलायत पिता रमेश पिता हिरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
38. श्री हरीश दत्तक पिता चुनिया धोबी निवासी सिक्का बी.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री के पास वस्त्र धुलाई की दुकान जिला जामनगर गुजरात।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता 23, 37
3. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 38

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 26.03.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा इण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर में खतौनी संख्या 739 की आराजी नम्बर 824 रकबा 5 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 2612 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, अराजी नम्बर 2613 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2614 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 2615 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 2637 रकबा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा आ.चा. किता 6 जो वर्तमान खतौनी में रोडा पिता गंगाराम, कालु पिता प्यारा, बालु, लालु, मोती पिता नाथु 1/3 हि.ब., नारायणलाल, रामलाल, मथरा पिता परथा, मु. केशी, मु. गुलाबी, मु. लेहरी, मु. गोपी दुख्तर प्रथा 1/3 हि.ब., भेरूलाल पिता मांगीया, मु. नाथी बेवा मांगीया 1/9 हि.ब., रमेश पिता हिरा, केशी बेवा हिरा, मोहनलाल, ईश्वरलाल, मु. इन्द्रा पिता गणपत, मु. वरदी बेवा गणपत 1/9 हि.ब., श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल 1/9 धोबी साकिन ईण्टाली खातेदार अंकित है। इन अंकित खातेदारों में से खातेदार श्री रोडा पिता गंगाराम, श्रीमती नाथी बेवा मांगीया, श्रीमती केशी बेवा हिरा, श्री मोहनलाल पिता गणपत और श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी का देहान्त हो गया है, जिस वजह से इस वाद में मृत रोडा के उत्तराधिकारीगण 1 शम्भु, 2 घनश्याम, 3 श्रीमती मांगीबाई, 4 श्रीमती गीता, 5 श्रीमती भग्गी को प्रतिवादी बनाया हैं। मृतक श्रीमती नाथी बेवा मांगीया के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 17 श्री भेरूलाल, 18 श्रीमती लछमी, 19 श्री रतनलाल, 20 श्रीमती लादू, 21 श्रीमती देऊ और 22 श्रीमती लीला को प्रतिवादीगण बनाया हैं। मृत खातेदार श्रीमती केशी बेवा हिरा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी 23 श्री रमेश, 24 श्रीमती बगदी, 25 श्रीमती बदामी, 26 श्रीमती गीता, 27 श्रीमती अणछी, 28 श्रीमती बसन्ती को प्रतिवादीगण बनाए है। मृतक खातेदार श्री मोहनलाल पिता गणपत के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 29 श्री राजेन्द्र, 30 श्री देवेन्द्र, 31 श्रीमती लीला, 32 श्रीमती सीमा, 33 श्रीमती रीना को पक्षकार बनाए हैं। स्वर्गीय खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी के दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 38 श्री हरीश को प्रतिवादी बनाया हैं। प्रतिवादी संख्या 37 श्री अनिल, प्रतिवादी संख्या 23 श्री रमेश का अवयस्क पुत्र है जो अपने पिता प्रतिवादी रमेश के ही परिवार का सदस्य होकर उसी के संरक्षण में हैं। यह प्रतिवादी अनिल अपने आपको स्वर्गीय खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी का वसीयत पत्र के आधार से उत्तराधिकारी होने का कथन कर रहा है जिस वजह से उसे पक्षकार बनाया है।

2. यह कि मौजा ईण्टाली की खतौनी संख्या 739 की उपरोक्त कृषि भूमि ही इस वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित की जा रही है इस वादगत भूमि के खातेदार मृतक श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी का 1/9 खातेदारी अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

है और श्रीमती मांगी का देहान्त तारीख 23.03.2004 ई. को हो गया है। वादी श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी का सगा छोटा भाई हैं। श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी ने तारीख 24.02.2004 ई. को वादी के पक्ष में स्वस्थ मन बुद्धि व स्वेच्छा से एक वसीयत पत्र निष्पादित किया और वसीयत पत्र पर दो साक्षीयों की साखे दिलवायी। जो उसके अपने ही गांव ईण्टाली के थे तथा इस वसीयत पत्र को पब्लिक नोटेरी से तस्दीक कराया। उसने यह वसीयत पत्र अपने गांव ईण्टाली से वल्लभनगर तहसील परिसर में जाकर स्टाम्प खरीद कर दस्तावेज लेखक से लिखवाया और इस पर अपने तथा साक्षीगण के हस्ताक्षर किए एवम कराए। इस वसीयत पत्र में श्रीमती मांगी धोबी ने यह अंकित किया है कि उसके पास गांव ईण्टाली में कृषि भूमि है और ईण्टाली में निवास का मकान भी है वो जब तक वह जीवित रहेगी उसके स्वामित्व का रहेगा और उसके देहान्त के पश्चात उसके भाई अर्थात वादी के स्वामित्व अधिकार के हो जावेगे। इस प्रकार वादी मृतक खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी के खातेदारी की कृषि भूमि का खातेदार कृषक उसकी मृत्यु के पश्चात हो गया हैं।

3. यह कि स्वर्गीय खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी ने तारीख 15.01.04 को एक वसीयत पत्र प्रतिवादी संख्या 37 श्री अनिल पिता रमेश धोबी के पक्ष में निष्पादित किया क्योंकि श्री अनिल और उसके पिता प्रतिवादी संख्या 23 श्री रमेश धोबी ने श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी को यह आश्वासन दिया कि वे अब उसकी सेवा चाकरी, भरण पोषण करेंगे परन्तु वसीयत पत्र प्रतिवादी अनिल के पक्ष में निष्पादित हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी अनिल और प्रतिवादी रमेशचन्द्र ने श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी की सेवा भरण पोषण करने से इन्कार कर दिया। इस पर स्वर्गीय मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी ने अपने वकील सा. श्री विनोद कुमार जी ओस्तवाल निवासी वल्लभनगर से श्री रमेशचन्द्र प्रतिवादी संख्या 23 को एक सूचना पत्र तारीख 20.02.2004 ई. को दिलाया जो श्री रमेशचन्द्र की पत्नी श्रीमती मांगी देवी ने प्राप्त किया हैं। श्रीमती मांगी देवी एवम् उसका नाबालिग पुत्र प्रतिवादी अनिल प्रतिवादी रमेशचन्द्र के परिवार का ही सदस्य हैं। इस नोटिस से श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी के द्वारा अनिल के पक्ष में निष्पादित शुदा वसीयत [illegible] निरस्त कर दिया है। यही नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी ने बाद में अपनी चल–अचल एवम् कृषि भूमि का नया वसीयत पत्र तारीख 24.02.2004 ई. को वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। इसकी जानकारी प्रतिवादी रमेश एवम् अनील दोनो को उसी समय हो गई थी। फिर भी ये प्रतिवादीगण श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी की कृषि भूमि के खातेदार अपने खारिजशुदा वसीयत पत्र के आधार से कर रहे है जो गलत है। इसी प्रकार श्रीमती वरदी एवम् श्री भेरूलाल प्रतिवादीगण भी श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी होने का गलत कथन कर रहे हैं। इस वजह से वादी को घोषणा का यह वाद करना पड रहा हैं। अन्य प्रतिवादीगण वादगत भूमि के सहखातेदारान होने से पक्षकार मुकदमा बनाए गए हैं।

4. यह कि श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी गत 19–20 वर्ष से विधवा थी। यह विधवा होने के पश्चात् वादी के ही साथ ईण्टाली में रह रही थी। वह वादी की ही मदद से अपने खेतो की फसल की बुवाई कटाई करती रही थी। अन्त समय तक भी वह वादी के ही साथ रही थी और वादी ने ही अपनी बहिन श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी की सेवा सुश्रुषा की। उसके देहान्त के पश्चात् भी वादी ने ही अपनी बहिन का अंतिम संस्कार, काज क्रिया कर्म (घाटा, घोरणी किया)। मांगी के देहान्त के पश्चात् मांगी की कृषि भूमि, मकान वादी के ही कब्ज भुगतभोग में हैं। प्रतिवादीगण श्री रमेशचन्द्र, श्री अनिल, श्री भेरूलाल, श्रीमती वरदी की नियत में नाजायज लाभ लेने का लालच पैदा हो गया है। इसलिए इनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जाना आवश्यक है कि वे वादगत भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक कृषि कार्य भुगत भोग करने देवे। अन्यथा प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक कृषि कार्य नहीं करने देगें, वादी बर्बाद हो जावेगा व मुकदमेबाजी में फसकर उलझ जावेगा। उसे अतुलनीय एवम् अशोधनीय नुकसान होगा जिसे रूपयो में आंकना असंभव हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि मौजा ईण्टाली की खतौनी संख्या 739 की आराजी नम्बर 824, 2612, 2613, 2614, 2615, 2637 किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा में वादी को मृतक खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल [illegible] बजाय 1/9 हिस्से का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वे वादी को वादगत भूमि से बेदखल नहीं करे, वादी को अपने हिस्सेनुसार कृषि कार्य करने एवम् उसका उपभोग करने देवे।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 23 एवं 37 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि में मृतक मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल का 1/9 हिस्सा होना स्वीकार है एवं दिनांक 23.03.2004 को निधन होना भी स्वीकार है एवं वादी मांगी बाई का भाई है यह कथन भी स्वीकार है किन्तु वादी का यह कथन सर्वथा गलत है कि दिनांक 24.02.2004 को मांगीबाई ने वादी के पक्ष में कोई वसीयत पत्र निष्पादित किया हो और उस पर साखे दिलायी गयी हो। सही स्थिति इस प्रकार है कि श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल प्रतिवादी संख्या 23 की बडी माँ एवं प्रतिवादी 37 की दादी मां थी। श्रीमती मांगी बाई ने वादी के पक्ष में कभी भी कोई वसीयत पत्र निष्पादित नहीं किया, न उसने साखे दिलायी, न वसीयत पत्र को नोटेरी से प्रमाणित कराया, न वह तहसील परिसर वल्लभनगर में गयी, न दस्तावेज लेखक से वसीयत पत्र लिखाया। जब किसी लेखक के पास मांगीबाई गयी ही नहीं, न साक्षीयों के समक्ष साखे दिलायी, न वसीयत पत्र लिखवा निष्पादित किया। वादी ने मृतक मांगीबाई की सम्पति को हडपने की नियत से यह जाली वसीयत पत्र निष्पादित करा कर इसे असल की तरह काम में लिया जा रहा हैं। इस कुटरचित वसीयत पत्र के आधार पर वादी को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं होता हैं। वादी जिस वसीयत पत्र को बताकर यह वाद लाया है वो पूर्णतया जाली, दिलावटी होकर नुमाईशी है और ऐसे अवैध वसीयत पत्र के आधार पर वादी को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं को सकता है। दिनांक 24.02.2004 को मृतक मांगीबाई जीवित अवश्य थी लेकिन वह अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी और उसे न तो खाने का पता था, न पिने का पता था, मांगी बाई मरने से करीब सवा महिने पहले तक मात्र इशारा से ही समझती थी, मांगती थी लेकिन उसके बाद यानि मरने से पहले सवा महिने तक न तो वह इशारा करती थी और न ही कोई सोचने, समझने की क्षमता रखती थी। ऐसी अवस्था में मांगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

बाई वसीयत करने के योग्य ही नहीं थी तो वादी के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित कराना, नोटेरी से प्रमाणित कराना, वल्लभनगर तहसील परिसर में जाकर दस्तावेज लिखाना एवं उस पर साखे दिलाना आदि वादी का कथन हास्यास्पद होकर आश्चर्य चकित है। मृतक मांगीबाई सवा महिने तक जीवन एवं मृत्यु के बीच झूझ रही थी और दिनांक 15.01.2004 को वादी स्वयं ने प्रतिवादी 37 के पक्ष में मृतक मांगीबाई के साथ रहकर वसीयत पत्र निष्पादित कराया और मृतक मांगीबाई एवं उसके पति की सेवा चाकरी प्रतिवादी संख्या 23 एवं उसके परिवार वालो ने की एवं मृतक मांगी बाई के पति चुन्नीलाल जी की भी सेवा चाकरी प्रतिवादी संख्या 23 एवं उसके परिजनों ने की है और चुन्नीलाल जी की यह ईच्छा थी कि वह इस सेवा के बदले प्रतिवादी 23 रमेश को कुछ दे लेकिन समय बीतता गया और उनकी इच्छा मन में थी कि मृत्यु ने उनको गले गलाया उससे कुछ समय पूर्व मृतक मांगीबाई को उन्होने यह ईच्छा प्रकट की थी किन्तु प्रतिवादी 23 रमेश को इस सेवा का फल जरूर देना और अपने पति के ईच्छा के मध्य नजर मृतक मांगी बाई ने सोच समझ कर विधिवत प्रतिवादी संख्या 37 (प्रतिवादी सं. 23 के पुत्र) के पक्ष में वसीयत नामा 15.01.04 को लिखवा निष्पादित किया। जहां तक सेवा चाकरी का प्रश्न है तो प्रतिवादी 23 एवं 37 तथा उसके परिजन ने मृतक मांगीबाई की अन्तिम क्षण तक सेवा की, काज करियावद किया एवं जाति रिवाज अनुसार समस्त कार्यों को अन्जाम दिये लेकिन वादी चूंकि चालाक एवं चतुर व्यक्ति था और उसकी नियत खराब हुई तो उसने अपनी बहिन की सम्पति को हडपने के लिए अपनी बहिन के जाली हस्ताक्षर कर फर्जी वसीयतनामा तैयार किया ऐसी स्थिति में कथित वसीयत के आधार पर वादी को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं होता है। न ही वादी का मृतक मांगीबाई की चल व अचल सम्पति पर कब्जा ही हैं। कब्जा प्रतिवादी 37 का वसीयत के आधार पर चला आ रहा हैं।

6. यह कि मृतक मांगी बाई की सेवा चाकरी अन्तिम क्षण तक रमेश एवं अनिल व उसके परिजनों के द्वारा की गयी एवं उनकी सेवा से खुश होकर दिनांक 15.01. 2004 को अनिल के पक्ष में वसीयत निष्पादित की। मांगीबाई द्वारा अपने वकील विनोद कुमार ओस्तवाल के जरिये किसी नोटिस का जो जिक्र किया गया है वो सर्वथा गलत होकर अस्वीकार। न [illegible] बाई ने नोटिस दिलाया, न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार का नोटिस रमेश की पत्नी को प्राप्त हुआ। यदि ऐसा कोई नोटिस हो तो वह जाली होकर बनावटी तैयार किया है। वादी एव गांव ईण्टाली के हर आम खास एवं पुरी दुनिया को जानकारी में है कि मृतक मांगीबाई की सेवा चाकरी रमेश एवं उसके पुत्र अनिल ने ही की है जिससे मृतक मांगीबाई की सम्पति बाबत वादी किसी प्रकार की कोई घोषणा कराने का अधिकारी नहीं हैं। मृतक मांगी बाई एवं चुन्नीलाल जी की उम्र में काफी फर्क था और गत 15–16 वर्ष से वह विधवा थी और उसकी कृषि भूमि पर चुन्नीलाल जी के जीवनकाल से ही प्रतिवादी रमेश एवं उसके परिजन काश्त करते चले आ रहे है एवं आज भी काश्त सुदा फसले खडी हैं। जब वादी का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य ही नहीं है तो उसे बेदखल करने, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं। वादी हमारे विरूद्व किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। दिनांक 23.03.2004 को हमारे विरूद्व किसी प्रकार की कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होती हैं। वादी के अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7. **विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया** कि उक्त वर्णित आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 2629–2618 ओर भी है जिसको वादी ने वाद में शामिल नहीं किया हैं। उक्त वर्णित आराजीयात एवं आराजी नम्बर 2629 एवं 2618 में मृतक मांगी बाई की सम्पति पर वसीयत पत्र दिनांक 15.01.2004 के आधार पर प्रतिवादी 37 अनिल नाबालिग होने से अपने पिता की संरक्षकता में काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जिससे इस भूमि का भी वादी किसी प्रकार से हक क्लेम नहीं कर सकता हैं। वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 37 ही मृतक मांगी बाई की सम्पति का एक मात्र मालिक होकर उपयोग उपभोग कर रहा है दिनांक 15.01.2004 को मांगी बाई द्वारा की गयी वसीयत मांगीबाई के दिनांक 23.03.2004 को निधन हो जाने से प्रभावी होकर मांगीबाई के जितने भी हक अधिकार उनकी भूमि में निहित थे वे स्वतः प्रतिवादी 37 में निहित हो चुके है और यह भूमि प्रतिवादी संख्या 37 अपने नाम अंकित कराने का अधिकारी है जिससे घोषणा करायी जाना आवश्यक हो गयी हैं। वादी दिनांक 24.02.2004 को किसी [illegible] सीयत पत्र के आधार पर यह वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

लेकर आया है और उसी के आधार पर वह प्रतिवादी 37 को बेदखल करने पर आमादा है। उक्त वर्णित आराजीयात के 1/9 हिस्से पर, आराजी नम्बर 2629 के 1/3 हिस्से पर एवं आराजी नम्बर 2618 के सम्पूर्ण हिस्से का प्रतिवादी 37 वसीयत 15.01.2004 से खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं। वादी धानासुता जिला रतलाम एम.पी. का रहने वाला है तथा मृतक मांगीबाई उसकी बहिन है और जब मांगी बाई की तबीयत खराब रहने लगी तब प्रतिवादी 23 ने वादी को मांगी बाई के बीमार होने के समाचार भिजाये तो वादी मिलने के लिए आया और उसके बाद वादी की नियत खराब हुई और उसने दिनांक 15.01.2004 को साथ रहकर प्रतिवादी 37 के पक्ष में विधिवत वसीयत नामा निष्पादित कराया और मांगी बाई जब अपनी सुध बुध खो चुकी थी तब उसकी सम्पति को हडपने के लिए मांगी बाई की बिना जानकारी एवं सहमति के फर्जी 24.02.2004 को वादी ने अपने पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित कराया एवं एक मार्च 04 को जब वादी को यह अहसास हो गया कि मेरे द्वारा किया गया वसीयत फर्जी है उसने दिनांक 01.03.2004 को अपने पुत्र हरिश के पक्ष में गोदनामा निष्पादित कराया। इस गोदनामा के निष्पादन के वक्त भी मांगी बाई पूर्ण होश हवाश में नहीं थी तथा न ही वह गोदनामा लिखवा अंगुष्ठ निशानी करने, सुनने, समझने की स्थिति में थी लेकिन वहां के उप पंजीयक अधिकारी ने अपनी पंजीयन की मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के लिए पंजीयन तो कर दिया लेकिन जब पंजीयन का मार्क कर दिया तो उसके बाद पंजीयन अधिकारी को भी बडा दुख हुआ बिनाय काउन्टर क्लेम विरूद्व वादी दिनांक 02.07.2005 को पैदा हुआ जब कि वादी ने यह वाद पेश किया तब से निरन्तर जारी हैं। वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी 23 माफिक हिस्सा कब्जा खातेदार होकर काबिज हैं। अन्त में निवेदन किया कि बहक प्रतिवादी संख्या 37 विरूद्व वादी निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात के 1/9 हिस्से का, आराजी नम्बर 2619 के 1/3 हिस्से का, आराजी नम्बर 2618 के सम्पूर्ण भाग का प्रतिवादी 37 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावें।

8. **प्रतिवादी संख्या 38 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि** मांगीबाई को पै[illegible]ति की वसीयत करने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नहीं था वो केवल अपनी स्वअर्जित आय से खरीदी हुई सम्पति को ही वसीयत कर सकती थी। अन्य सम्पति को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। श्रीमती मांगीबाई को पैतृक सम्पति को किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत द्वारा हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 38 श्रीमती मांगीबाई का दत्तक पुत्र हैं। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक एवम् अधिकार उक्त आराजीयात में नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 38 हरीश श्रीमती मांगीबाई का दत्तक पुत्र होने से वो उनका कानूनन उत्तराधिकारी है व उनकी चल अचल सम्पति का कानूनन वारिस होकर मालिक हैं। स्वर्गीय मांगीबाई पत्नी स्वर्गीय चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जाति धोबी निवासी ईण्टाली ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 38 हरिश को अपने जीवनकाल में गोद रख लिया था और गोद पत्र की रजिस्ट्री दिनांक 01.03.2004 को गोद नामा की रजिस्ट्री करवा दी थी और प्रतिवादी संख्या 38 हरिश के प्राकृतिक पिता श्री अम्बालाल जी ने श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी ईण्टाली के गोद रखा था व श्रीमती मांगीबाई ने गोद रखना स्वीकार किया था व श्रीमती मांगीबाई ने अपने स्व. पति श्री चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी की अंतिम ईच्छानुसार व उसके निर्देशानुसार प्रतिवादी संख्या 38 हरीश को गोद रखा था और प्रतिवादी संख्या 38 श्रीमती मांगीबाई व स्वर्गीय चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी का दत्तक पुत्र हैं और श्रीमती मांगीबाई दत्तक माता है और स्वर्गीय चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जी हरीश के दत्तक पिता है और प्रतिवादी संख्या 38 श्रीमती मांगीबाई का कानूनन वारिस होकर उनकी चल अचल सम्पति का स्वामी है और श्रीमती मांगीबाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में जो हिस्सा दर्ज है उसको प्रतिवादी संख्या 38 अपने नाम पर दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

9. **काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि** प्रतिवादी संख्या 38 हरीश दत्तक पिता श्री चुनिया उर्फ चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली को वाद वर्णित आराजीयात में स्वर्गीय मांगीबाई का जो हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है, श्रीमती मांगीबाई के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 38 को श्रीमती मांगीबाई व चुनिया उर्फ चुन्नीलाल का दत्तक पुत्र होने से उनके हिस्से व खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में श्रीमती मांगीबाई पत्नी चुनिया उर्फ चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 38 हरीश दत्तक पिता चुनिया उर्फ चुन्नीलाल जाति धोबी निवासी ईण्टाली हाल जामनगर गुजरात का नाम राजस्व रेकार्ड में उनके हिस्से के अनुसार घोषित कराने व राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाए जाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 38 हरिश कुमार का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वाद मे वर्णित आराजीयात में स्व. मांगीबाई पत्नी स्व. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल का जो हिस्सा दर्ज है उसका खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 38 हरीश को घोषित फरमाया जावे व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में श्रीमती मांगीबाई पत्नी चुनिया उर्फ चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली के नाम पर प्रतिवादी संख्या 38 हरीश दत्तक पिता चुन्नीलाल जी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किए जाने की डिक्री प्रतिवादी संख्या 38 के पक्ष में व वादी के विरूद्व जारी फरमाई जावे।

10. **वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 23, 37 के काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि** वादी के पक्ष में मांगीबाई के वसीयत पत्र को अस्वीकार किया जो गलत हैं। वादगत भूमि में स्वर्गीय मांगीबाई का 1/9 खातेदारी हिस्सा होना स्वीकार कर, मांगीबाई के द्वारा वादी के पक्ष में किए वसीयत पत्र को अस्वीकार किया है। निवेदन है कि श्रीमती मांगीबाई ने वादी को वल्लभनगर भेज दस्तावेज लिखने वाले, स्टाम्प बेचने वाले एवम् पब्लिक नोटेरी को गांव ईण्टाली बुलाया जिनके आने पर श्रीमती मांगीबाई ने अपने नाम से स्टाम्प पेपर खरीदा, जिस पर पिटीशन राईटर श्री मनोज पोखरना ने मांगीबाई के कहे अनुसार वादी के पक्ष में वसीयत पत्र को लिखा और उस वसीयत पत्र को श्रीमती मांगीबाई को पढकर सुनाया। मांगीबाई ने वसीयत पत्र की लिखावट को सही मान उस पर अपना अंगुष्ठ निशानी अंकित की जिसके बाद इस वसीयत पत्र पर साक्ष्य दिलाई तथा बाद में इस वसीयत पत्र पर पुनः अपनी अंगुष्ठ निशानी की। वाद पत्र में मांगीबाई का वल्लभनगर जोन का तथ्य भूल से गलत लिख दिया। मांगीबाई ने वादी के पक्ष में वसीयत पत्र स्वस्थ, मनबुद्धि, स्वेच्छा से निष्पादित किया हैं। उस समय मांगीबाई शारी[illegible] से कमजोर अवश्य थी किन्तु घर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

का काम रोटी बनाने, झाडु निकालने, नहाना, शौच निवृत करना स्वयं कर लेती थी और घर में फुरसत में घुमती रहती थी। इस प्रकार वादी के पक्ष में किया वसीयत पत्र वास्तविक ओर अंतिम वसीयत पत्र श्रीमती मांगीबाई का है। प्रतिवादी का यह कहना कि श्रीमती मांगीबाई तारीख 24.02.2004 को अपने मस्तिष्क का संतुलन खो चुकी थी पूर्णत झूठा कथन हैं। श्रीमती मांगीबाई ने प्रतिवादी अनिल के पक्ष में वसीयत अवश्य सम्पादित किया किन्तु प्रतिवादीगण ने श्रीमती मांगीबाई के साथ गलत सलूक किया। उससे बुरी तरह पेश आए, सो प्रतिवादी के पक्ष में यह वसीयत पत्र मांगीबाई ने खारिज कराया व वादी के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित किया हैं। श्रीमती मांगीबाई की खेती की जमीन, मकान, बाडा पर वादी का मांगीबाई के जीवनकाल से ही कब्जा रहा है क्योंकि सारा कार्य वादी भाई होने से वादी से ही कराती थी और वह भाई के साथ ही रहती थी।

11. यह कि श्रीमती मांगीबाई की कोई सेवा चाकरी प्रतिवादीगण ने नहीं की, वे सेवा चाकरी करने का झूठा कथन कर रहे हैं। श्रीमती मांगीबाई की भूमि पर इन प्रतिवादीगण का कब्जा होने का झूठा, काल्पनिक कथन किया हैं। श्रीमती मांगीबाई की आराजी नम्बर 2629–2618 को सम्मिलित नहीं करने का वाद में दोष बताया है। निवेदन है कि इन आराजीयात का अलग से वाद पत्र एवम मुकदमा नम्बर 99/05 वाद पत्र है जो पक्षकारों के अलावा अन्य सहभागियों के मध्य चल रहा हैं। प्रतिवादीगण का आराजी नम्बर 2629, 2618 पर या वादगत भूमि पर कब्जा भोग कुछ भी नहीं हैं। प्रतिवादी अनिल की वसीयत श्रीमती मांगीबाई ने निरस्त कर दी है तथा दूसरा अंतिम वसीयत पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया हैं। वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत जाली नहीं है बल्कि वास्तविक वसीयत पत्र हैं। वादी ही श्रीमती मांगीबाई की इस भूमि का खातेदार काश्तकार होने से काबिज है। इसके साथ मांगीबाई के मकान, बाडा आदि पर भी काबिज हैं। वादी गत 50 वर्षों से अपने पिता के साथ ईण्टाली में ही बसा हुआ है जहां पर उसके पास रहने का मकान, खेती की भूमि वगैरा हैं। रतलाम जिला में वादी की कोई सम्पति, मकान कुछ भी नहीं हैं। वादी आर.एस.ई.बी. में उदयपुर में कर्मचारी रहा हैं। प्रतिवादीगण कोई भी दाद प्राप्ति के अधिकारी नहीं है सो प्रतिवाद पत्र काबिल सव्यय [illegible] के है। सो सव्यय निरस्त फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

जावें। श्रीमती मांगीबाई की वादगत कृषि भूमि स्वअर्जित नहीं थी सो वह वसीयत करने योग्य नहीं थी। निवेदन है कि वादगत भूमि की श्रीमती मांगीबाई पूर्णतः खातेदार थी जिस वजह से उसे सम्पति को वसीयत करने का अधिकार था। श्रीमती मांगीबाई को उत्तराधिकार से अपने पति से प्राप्त हुई है और यह भूमि पैतृक भूमि नहीं हैं। हरिश श्रीमती मांगीबाई की सम्पति का स्वामी नहीं है, न हो ही सकता है क्योंकि श्रीमती मांगीबाई ने वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है जिसके आधार से वादी वादगत भूमि वगैरा का स्वामी खातेदार हो चुका हैं। गोद रखने से श्रीमती मांगीबाई द्वारा अन्य के पक्ष में वसीयत करने की कोई वर्जना संविदानुसार या निधानानुसार नहीं थी सो वादी वसीयत के अनुसार वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका हैं। हरीश को स्व. चुन्नीलाल ने गोद नहीं रखा हैं। हरीश वादगत भूमि अपने खातेदारी की होने की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी हरीश के प्रतिवाद पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

12. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23, 37, 38 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं जिससे हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण सहमत हुए कि प्रतिवादी संख्या 38 श्री हरिश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल जी धोबी के पक्ष में हुए गोदनामा को हम पक्षकारान स्वीकार करते है एवं गोदनामा के आधार पर चुन्नीलाल जी की पत्नी मांगीबाई के नाम पर वाद वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी हरीश जो कि दत्तक पुत्र है के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने हेतु सहमति प्रदान करते है एवं उक्त आधार पर न्यायालय में विचाराधीन वाद डिक्री फरमाया जावे एवं उक्त प्रकरण को राजीनामा के आधार पर फैसल कर डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री जारी किये जाने की कृपा करावें। अन्त में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में राजीनामा को तस्दीक किया जाकर राजीनामा की अनुमति प्रदान कर प्रकरण को आज ही राजीनामा के आधार पर फैसल कर डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। हम प्रतिवादीगणों को राजीनामा स्वीकार है एवं हर्जे खर्चे का कोई एतराज नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की राजीनामें पर बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। राजीनामें का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 739 पर दर्ज आराजी नम्बर 824, 2612, 2613, 2614, 2615, 2637 किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि में मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि का विवाद केवल मात्र मांगी बेवा चुन्नीलाल के 1/9 हिस्से तक ही है। यह तथ्य तो निर्विवादित है कि खातेदार मांगी बेवा चुन्नीलाल का निधन हो चुका है। क्यों कि उक्त तथ्य को उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 37 द्वारा वसीयत के आधार पर भूमि दर्ज करवाना चाहा।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल द्वारा अपनी जीवनकाल में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 01.03.2004 से प्रतिवादी संख्या 38 श्री हरीश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल धोबी को गोद रखा। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 37 के पक्ष में निष्पादित दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड है। उक्त दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड होने से इनकी सत्यता के संबंध में विचार किया जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज/गोदनामा प्रतिवादी संख्या 38 के पक्ष में है। रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 38 खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल का पुत्र है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति विरासत से उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अर्थात पुत्र व पुत्रियों में निहित होगी। इस प्रकार इस प्रकरण में भी खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के निधन के पश्चात उसके नाम दर्ज हिस्सा भूमि उसका दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 38 में निहित हुई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के हिस्से को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 23, 37 द्वारा ही क्लेम किया गया था। उनके द्वारा भी राजीनामा प्रस्तुत कर स्वीकार कर लिया गया है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के हिस्से को उसके दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 38 हरिश के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। अन्य किसी पक्षकार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में काउण्टर वाद प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23, 37, 38 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23, 37, 38 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060—63 के खाता संख्या 739 पर दर्ज आराजी नम्बर 824, 2612, 2613, 2614, 2615, 2637 किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 38 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 100/05 (वाद)

GCMS No. : 2005/00003

उनवान्

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।
1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री शम्भु पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री घनश्याम पिता रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्रीमती मांगी बेवा रोडा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4. श्रीमती गीता पत्नी राजु धोबी निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा।
5. श्रीमती भग्गी पत्नी रतन धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
6. श्री कालु पिता प्यारा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
7. श्री बालु पिता नाथू धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्री लालु पिता नाथू धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
9. श्री मोती पिता नाथू धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
10. श्री नारायणलाल पिता परथा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
11. श्री रामलाल पिता परथा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
12. श्री मथरा पिता परथा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
13. श्रीमती केशी पत्नी नाथू धोबी निवासी कांकरवा तहसील कपासन।
14. श्रीमती गुलाबी पत्नी मोहन धोबी निवासी उदाखेडा तहसील मावली।
15. श्रीमती लेहरी पत्नी गोदा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
16. श्रीमती गोपी पत्नी हिरा धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
17. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
18. श्रीमती लछमी पत्नी उदयलाल धोबी निवासी बानसेन तहसील भदेसर।
19. श्री रतनलाल पिता हिरालाल धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
20. श्रीमती लादू पत्नी कैलाश धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
21. श्रीमती देऊ पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
22. श्रीमती लीला पुत्री हिरा धोबी निवासी हिण्डोली तहसील कपासन।
23. श्री रमेश पिता हिरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

24. श्रीमती बगदी पत्नी हिरालाल धोबी निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा।
25. श्रीमती बदामी पत्नी हिरा धोबी निवासी मोही जिला राजसमन्द।
26. श्रीमती गीता पत्नी रमेश धोबी निवासी राजनगर, नया बस स्टेण्ड के पास बाडी जिला राजसमन्द।
27. श्रीमती अणछी पुत्री हिरा धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
28. श्रीमती बसन्ती पत्नी माणक धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन।
29. श्री राजेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
30. श्री देवेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
31. श्रीमती लीला बेवा मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
32. श्रीमती सीमा पत्नी महावीर धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन।
33. श्रीमती रीना पत्नी लालू धोबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन।
34. श्री ईश्वरलाल पिता गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
35. श्रीमती इन्दिरा पत्नी बद्री धोबी निवासी राजनगर नया बस स्टेण्ड के पास बाडी जिला राजसमन्द।
36. श्रीमती वरदी बेवा गणपत धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली। तर्क किया।
37. श्री अनिल पिता रमेशचन्द्र बविलायत पिता रमेश पिता हिरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
38. श्री हरीश दत्तक पिता चुनिया धोबी निवासी सिक्का बी.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री के पास वस्त्र धुलाई की दुकान जिला जामनगर गुजरात।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23, 37, 38 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2060–63 के खाता संख्या 739 पर दर्ज आराजी नम्बर 824, 2612, 2613, 2614, 2615, 2637 किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 38 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested